न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 07/2021

बउनवान

1. दुर्गेश नन्दन पुत्र स्व0 बंशीधर
2. चेतन्य स्वरूप पुत्र स्व0 बंशीधर
3. गिर्राजबाई पत्नि स्व0 बंशीधर
4. मधुसूदन पुत्र स्व0 बंशीधर जातिगण ब्राह्मण निवासीगण कलमंडा तह0 बारां हाल मुकाम बारां तह0 बारां जिला बारां (अपीलांटगण)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां (रेस्पोंडेंट्स)

अपील इन्तकाल नं0 324 दिनांक 20.05.1993 वाके ग्राम कलमण्डा अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री शैलेष मेहता, अभिभाषक (अपीलांटगण)
2. पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 31.03.2021

1– अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांटगण के शामलाती खाते, कब्जे काश्त व स्वामित्व की आराजी ख0नं0 1004 रकबा 2.09 है0, वाके माल कलमंडा तहसील बारां में स्थित है जिसमें अपीलांटगण का 1/32 हिस्सा निहित है। सहवन से खाता सं0 नया 231 पुराना 220 में काश्तकार का नाम क्र0 2 र खातेदार के नाम में चेतन पुत्र बंशीधर व क्र0 3 पर नन्दन पुत्र बंशीधर गलत दर्ज हो गया है जबकि दुर्गेश नन्दन पुत्र स्व0 बंशीधर, चेतन्य स्वरूप पुत्र स्व0 बंशीधर होना चाहिये था। खातेदार का नाम चेतन, मदन गलत है, खातेदार का वास्तविक नाम दुर्गेशनन्दन व चेतन्य स्वरूप है। अपीलांटगण के परिचय पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में भी नाम परिवार राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधारकार्ड व विद्यालय रेकार्ड में अपीलांट का नाम दुर्गेशनन्दन व चेतन्य स्वरूप है। इंतकाल नं0 324 द्वारा अपीलांटगण के नामों में त्रुटि होने के कारण वर्तमान जमाबन्दियों में बतौर खातेदार कृषक गलत नाम होने के कारण क्रेडिट कार्ड व अन्य योजनाओ का लाभ लेने से अपीलांटगण वंचित हो रहे हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश इन्तकाल नं. 235 दिनांक 20.05.1993 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुर्गेश नन्दन पुत्र स्व0 बंशीधर, चेतन्य स्वरूप पुत्र स्व0 बंशीधर दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested

2— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तथा रिपोर्ट तलब की गयी। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति व रिपोर्ट प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाता सं0 नया 231 पुराना 220 में काश्तकार का नाम क्र0 2 खातेदार के नाम में चेतन पुत्र बंशीधर व क्र0 3 पर नन्दन पुत्र बंशीधर गलत दर्ज हो गया है जबकि दुर्गेश नन्दन पुत्र स्व0 बंशीधर, चेतन्य स्वरूप पुत्र स्व0 बंशीधर होना चाहिये था। खातेदार का नाम चेतन, नन्दन गलत है, खातेदार का वास्तविक नाम दुर्गेशनन्दन व चेतन्य स्वरूप है। अपीलांटगण के परिचय पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में भी नाम परिवार राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधारकार्ड व विद्यालय रेकार्ड में अपीलांट का नाम दुर्गेशनन्दन व चेतन्य स्वरूप है। इंतकाल नं0 324 के दौरान अपीलांटगण के नामों में त्रुटि होने के कारण वर्तमान जमाबन्दियों में बतौर खातेदार कृषक गलत नाम होने के कारण क्रेडिट कार्ड व अन्य योजनाओ का लाभ लेने से अपीलांटगण वंचित हो रहे हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल सं0 324 दिनांक 20.5.1993 ग्राम कलमंडा निरस्त किया जाकर, अपीलांटगण के नाम मदन के स्थान पर दुर्गेश नन्दन पुत्र स्व0 बंशीधर तथा चेतन के स्थान पर चेतन्य स्वरूप पुत्र स्व0 बंशीधर का इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

4— पेरोकार सरकार ने दौराने बहस प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन करवाकर कथन किया कि ग्रामवासियान द्वारा बताये अनुसार घर पर बोलने वाले नाम नामान्तकरण में दर्ज किये गये हैं। जबकि वास्तव में इनके नाम चेतन्य स्वरूप, दुर्गेशनन्दन, मधुसूदन पुत्र गिर्राजबाई पत्नि बंशीधर हैं। इन्तकाल शुद्धि योग्य है।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा इंतकाल नं0 324 के दौरान दुर्गेशनंदन के स्थान पर मदन एवं चेतन्य स्वरूप के स्थान पर चेतन जो कि अपीलांटगण के घर पर बोलने वाले नाम हैं, अंकित कर दिये। जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् यथा पेन कार्ड, आधार कार्ड में अपीलांटगण का नाम दुर्गेशनन्दन पुत्र बंशीघर एवं चेतन्य स्वरूप पुत्र बंशीधर अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा मृतक बंशीधर के फौती इन्तकाल में अपीलांटगण के नाम गलत दर्ज किये गये हैं।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा तस्दीकी इन्तक[illegible]24 दिनांक 20.05.1993 वाके ग्राम कलमंडा तहसील—बारां निरस्त [illegible] न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है। [illegible]अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं रेकार्ड से अपीलांट के वास्तविक नाम की जॉच कर, स[illegible] इन्तकाल दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.05.18 13:05:48 IST
Reason: SelfAttested